न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 109/2014/223 आर टी ए

1. ओमपुरी पुत्र नानकपुरी जाति गुसाई निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुरी पुत्र नानकपुरी जाति गुसाई निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. जगदीश पुत्र नानकपुरी जाति गुसाई निवासी धानसिया तहसील नोहर।

––अपीलांट

बनाम

1. कालूपुरी पुत्र औमपुरी जाति गुसाई निवासी धानसिया तहसील नोहर।

––– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.14 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रकरण संख्या 167/2011 अनवानी कालूपुरी बनाम ओमपुरी आदि

उपस्थित :–
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट
श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–24.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए का पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने तनकी सं. 1 का खर्चा कतई गलत तौर से पारित किया है क्योंकि वसीयत दिनांक 07.04.88 फर्जी है। प्रथम तो संयुक्त खाता के किसी विशेष हिस्से की वसीयत कानूनन नही की जा सकती है तथा नुमाईशी वसीयत के आधार पर वाद पेश नही किया जा सकता है। नानकपुरी वादी के दादा की मृत्यु होने के बाद वादी/रेस्पो0 प्रतिवादी/अपीलांट के पास ही रहा है। वादग्रस्त भूमि विरासतन से अपीलांट व उसकी बहनो व माता के नाम सही रूप से दर्ज की गई है और बहनो व अपीलांट की माता ने दस्तबरदारी सही तौर से निष्पादन करवाई है। रेस्पो0 ने विरासतन नामान्तरण व दस्तबरदारी को कभी चुनौती नही दी है। रेस्पो0 की तथाकथित वसीयत 23–24 वर्ष पुरानी है उसने आज तक वसीयत को प्रभाव मे नही लाने के कारण ही वसीयत निष्प्रभावी हो चुकी है और अब प्रभावी नही हो सकती है। रेस्पो0 को उक्त वसीयत का

ज्ञान था फिर भी वसीयत पेश नही की गई। उक्त निष्प्रभावी वसीयत के आधार पर वादी/रेस्पो0 किसी प्रकार की घोषणा वाद भूमि के संबंध मे करवाने का अधिकारी नही है। रेस्पो0 ने नामान्तरण सं. 975 दिनांक 17.08.99 व दस्तबरदारी दिनांक 10.05.99 को आज तक चुनौती नही दी है। नानकपुरी के फौत होने पर उसकी पत्नि व उसकी दो पुत्रियों के नाम भूमि विरासतन दर्ज हो चुकी थी जो उन्होने अपने हक अपने दो भाईयो के पक्ष मे परित्याग कर दिया था। उक्त दस्तबरदारी प्रभाव मे रहते वसीयत निष्प्रभावी थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 के दादा व अपीलांट के पिता नानकपुरी की स्वयं की पैदा कर्दा भूमि है, नानकपुरी ने अपने जीवनकाल मे ही अपनी उक्त भूमि मे से 18.10 बीघा भूमि की वसीयत दिनांक 07.04.88 को रेस्पो0 के पक्ष मे तहरीर करवा दी थी। रेस्पो0 उस समय नाबालिग था और रेस्पो0 की माता का स्वर्गवास हो चुका था। उक्त वसीयत रेस्पो0 के पिता ओमपुरी के पास थी। रेस्पो0 की दादा की मृत्यु होने के बाद रेस्पो0 के पिता ने दूसरी शादी कर ली और उक्त वसीयत को छुपाकर अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवा कर लिया और अपनी बहनो की हिस्सा की भूमि की दस्तबरदारी करवा ली। असल वसीयत रेस्पो0 के पिता ओमपुरी के पास है। रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर दावा प्रस्तुत किया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे अपीलांट/प्रतिवादीगण का जवाबदावा आने के बाद तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार विवेचन करते हुए तनकीयात के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वसीयत के अनुसार वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पंजीकृत वसीयत दिनांक 07.04.88 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए उल्लेखित किया कि नानकपुरी के द्वारा रोही मौजा धानसिया के खसरा नं. 9 मीन की 18.10 बीघा भूमि की वसीयत वादी कालूराम के पक्ष मे दिनांक 07.04.88 को तहरीर करवाकर उप पंजीयक नोहर से गवाहो के समक्ष तस्दीक करवाई गई थी। नानकपुरी का दिनांक 19.05.1996 को देहान्त हो गया है। नानकपुरी के देहान्त होने पर वादी नानकपुरी की वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के नाबालिग रहते वसीयत मे अंकित भूमि का वसीयत को छुपाकर करवाया गया विरासतन नामान्तरण शुन्य एवं निष्प्रभावी है। विरासतन नामान्तरण से पूर्व ही वादी कालूराम रोही मौजा धानसिया के खसरा नं. 9 मीन की 18.10 बीघा भूमि का खातेदार हो चुका था उसकी भूमि मे किसी प्रकार का नामान्तरण दर्ज किया भी जाता है तो वह शून्य है एवं वादी के हको तक निष्प्रभावी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2014 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 109/2014/223 आर टी ए

1. ओमपुरी पुत्र नानकपुरी जाति गुसाई निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुरी पुत्र नानकपुरी जाति गुसाई निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. जगदीश पुत्र नानकपुरी जाति गुसाई निवासी धानसिया तहसील नोहर।

––अपीलांट

बनाम

1. कालूपुरी पुत्र औमपुरी जाति गुसाई निवासी धानसिया तहसील नोहर।

––– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.14 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रकरण संख्या 167/2011 अनवानी कालूपुरी बनाम ओमपुरी आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट एवं श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2014 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 24.11.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ